

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2017/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३० मई, 2017

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।

विषय - राज्य शासन के स्थायी कर्मी को मंहगाई भत्ते में 7% एवं 4% की वृद्धि ।

वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 15 मई, 2017 द्वारा जारी आदेश में स्थायी कर्मीयों को 139 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने का उल्लेख है, उक्त आदेश को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 द्वारा राज्य शासन के स्थायी कर्मी को विनयमित करने की जारी योजना के अंतर्गत स्थायी कर्मी के लिये 125 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने का प्रावधान रखा गया था ।

3/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के उपर्युक्त योजनान्तर्गत बने स्थायी कर्मी को मूल वेतन के योग पर निम्नांकित तिथि एवं दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये :-


अवधि जब से देय	मंहगाई भत्ते का प्रतिशत
दिनांक 01-09-2016 से (माह सितम्बर, 2016 का वेतन जो अक्टूबर, 2016 में देय होगा)	132%
दिनांक 01-01-2017 से (माह जनवरी, 2017 का वेतन जो फरवरी, 2017 में देय होगा)	136%

4/ मंहगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

5/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा ।

6/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अनिरुद्ध मुकुर्मी)  
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी ) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(शालिनी भारसकरे)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग